


कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक

क्रमांक :- 294

दिनांक :- 6 $\frac{4}{21}$

॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश (अधिसूचना) क्रमांक 03/ई.वी./2021 दिनांक 04.03.2021 की पालना में दिनांक 24.04.2021 को कार्यदिवस घोषित होने से, इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 275 दिनांक 30.03.2021 में संशोधन किया जाकर दिनांक 24.04.2021 के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूनी, जिला टोंक की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त की जाती है।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक 6/4/21

क्रमांक :- 295

दिनांक :- 6 $\frac{4}{21}$

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक / उनियारा / मालपुरा / निवाई
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक / देवली / टोडारायसिंह / मालपुरा / उनियारा / निवाई / दूनी
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली / न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक
6. अधीक्षक जिला कारागृह, टोंक
7. जिला आबकारी अधिकारी, टोंक
8. सहायक समादेष्टा निरोधक दल, टोंक
9. पुलिस कन्ट्रोल रूम, टोंक
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर आदेश दिया जाता है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाईड पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक 6/4/21